



RAJIV MEHROTRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O. : 3/3A, Vishnupuri, Kanpur - 208 002 • Tel. : 0512-2531806

Fax : 0512-2531806 • E-mail : rma.consult@gmail.com

TO WHOM IT MAY CONCERN

We hereby certify that figures stated below for FY 2021-22 in relation to grants for CHHATRAPATI SAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR is true and correct and as per the financial statements compiled by us, books of accounts, documents and information furnished before us.

(Figures in Lacs)

S.No.	Name of Grant	Opening balance as on April 1, 2021	Amount received during the FY 2021-22 (inclusive of interest)	Available for utilization during FY 2021-22
1	Grant Project	NIL	NIL	NIL
2	Grant UGC	97.76	9.50	107.26
3	Grant from State Govt	NIL	NIL	NIL
4	Grant Protasahan Anudhan	6.45	NIL	6.45
5	Grant UP Uchha Shiksha Parishad	1.16	NIL	1.16
6	Grant NSS	43.03	20.40	63.43
7	Grant Red Ribbon	Nil	Nil	Nil
8	Grant CSJM UPHEC	0.11	NIL	0.11
9	Grant UPSCAR	NIL	NIL	NIL
10	Grant RUSA	545.49	17.54	563.03
11	Aishe Grant	NIL	NIL	NIL
12	Manyawar Kashi Ram	1.17	0.04	1.21
13	Deen Dayal Shodh Sanasthan	427.58	11.25	438.83
14	DBT	4.11	50.33	54.44
15	NAACC	0.11	0.08	0.19
16	Grant Centre for Excellence	3.00	0.02	3.02
17	FDP Programme Grant	0.10	0.85	0.95
18	Others	Nil	50.00	50.00

For M/s Rajiv Mehrotra & Associates
Chartered Accountants


Nishant Anand
Partner

M.No. 442746



UDIN: 23442746BGSKFM7954

Branch Offices : Cabin No. 116, Church Gate Chambers, Plot No.5, New Marine Lines, Mumbai - 400 020
2, Lal Bahadur Shastri Marg, Lucknow - 226 001

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर नगर।

पत्रांक १२ / सां०नि०/बजट/2022-23

दिनांक: २१ अप्रैल 2022

परियोजना प्रबन्धक,
यू०पी० प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि०, यूनिट-10
कानपुर।

कृपया सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत डा० सुधांशु त्रिवेदी मा० संसद सदस्य, राज्य सभा के पत्र दिनांक 18.12.2021 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के कक्षा के निर्माण हेतु अपनी सांसद निधि से रु० 50.00 लाख (रु० पचास लाख मात्र) का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः मा० सांसद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के कम में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने हेतु यू०पी० प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि०, यूनिट-10 कानपुर को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार आगणन तैयार कर तत्काल डी०आर०डी०ए० में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके।

- (1) डी०आर०डी०ए० से आगणन तैयार करने हेतु पत्र प्राप्त होते ही कार्यदायी संस्था द्वारा लो०नि०वि० के वर्तमान शिड्यूल ऑफ रेट्स (स्वीकृत दरों) के आधार पर ही स्थलीय स्थिति के अनुरूप ही आगणन तैयार किया जायेगा। अपूर्व कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन के साथ स्थल का छायाचित्र भी खींचा जायेगा, जिसमें कार्यदायी विभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता भी प्रदर्शित हों। कोई भी आगणन अनुरक्षण/अपग्रेडेशन कर तैयार कर प्रेषित नहीं किया जायेगा। धार्मिक स्थल/प्राइवेट जमीन से सम्बन्धित कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन तैयार करते समय तथा कार्य के क्रियान्वयन में योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परिपालन पूर्ण रूपेण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में कार्यान्वयन अभिकरण प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों कार्यान्वयन पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिये किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय, सेंटेज आदि नहीं लेंगे।
- (3) स्वीकृत कार्य को समयान्तर्गत प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराया जायेगा तथा समय से द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित करते समय स्थल का छायाचित्र अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक की उपस्थिति प्रदर्शित करते हुये प्रेषित किया जायेगा तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रमाणित की जायेगी। तदोपरान्त सत्यापन के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर अवशेष धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। स्थल पर कार्य से सम्बन्धित पत्थर अवशेष लगाया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(राम कृपाल चौधरी)

परियोजना निदेशक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

कानपुर नगर।

पृ०सं० १२ / तददिनांकित

प्रतिलिपि:

(1) डा० सुधांशु त्रिवेदी मा० संसद सदस्य, राज्य सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (मो०नं० 9414189254) को सूचनार्थ एवं प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

परियोजना निदेशक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

कानपुर नगर।



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (केंद्रीय भण्डार)
यू०पी० प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
उद्योग कुंज रोड नियर हनुआखाड़ा (रजवाहा)
नौरैया खेड़ा (नहर कोठी), दादा नगर, कानपुर-208022
CIN : U15209UP1978SGC004285

पत्रांक 346/पी.सी.एल./पी.एम./कानपुर/

दि० 13/06/2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक
ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

विषय: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 22/सां०नि०/बजट/2022-23 दिनांक 21 अप्रैल, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आप द्वारा वांछित आगणन रु० 50.03 लाख का गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई-10, कानपुर

Recd
BIL
14-6-22